मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन 1973) के अधीन जारी अधिसूचना

क्रमांक डी-15-02-2008-चौदह-3 दिनांक 27 फरवरी , 2008 -- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज को टीकमगढ़ जिले की बल्देवगढ़ तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये खरगापुर में मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा ।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-2-2008 पृष्ठ 165 पर प्रकाशित ।]

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in